भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5057
01 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जलकृषि

5057. श्री असादुद्दीन ओवैसी:
श्री प्रद्युत बोरदोलोई :

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय की रिपोर्ट आई है जिनमें दर्शाया गया है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत प्रचारित कप्पाफाइकस अल्वारेजी (लाल शैवाल) जैसी कतिपय जलकृषि प्रजातियां आक्रामक हैं और उनके प्रसार से प्रवाल भित्तियों सहित समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी आक्रामक प्रजातियों के प्रवाल भित्तियों और स्थानीय समुद्री जैव-विविधता पर प्रभाव का तथा इन प्रजातियों को बढ़ावा देने से पूर्व मंत्रालय ने जिन अध्ययनों अथवा साक्ष्यों पर विचार किया है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त आक्रामक प्रजातियों के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि पीएमएमएसवाई के अंतर्गत जलकृषि संवहनीय बनी रहे; और

(घ) क्या मंत्रालय की पीएमएमएसवाई के अंतर्गत प्रजातियों के चयन के लिए संशोधित दिशानिर्देश अथवा कड़े मानदंड जारी करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) से (ख) मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पांच वर्षों की अवधि यानी 2020-21 से 2024-25 के दौरान कार्यान्वयन के लिए मात्स्यिकी क्षेत्र में 20,050 करोड़ रुपए के अब तक के उच्चतम निवेश के साथ प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) नामक एक प्रमुख योजना शुरू की है। पीएमएमएसवाई के तहत सी वीड कल्टीवेशन को आय-सृजनकारी आर्थिक गतिविधि के रूप में बढ़ावा दिया जाता है । इस सहयोग का उद्देश्य इस क्षेत्र में कल्टीवेशन प्रैक्टिस, इन्फ्रास्ट्रक्चर, जागरूकता, प्रशिक्षण, अनुसंधान में सुधार करना और सी वीड व्यापार में वैल्यू चेन को इष्टतम करना है। मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार ने पीएमएमएसवाई के तहत राफ्ट, मोनोलाइन / ट्यूबनेट की स्थापना, मल्टी परपस सी वीड पार्क की स्थापना, सी वीड सीड बैंक, सी वीड हैचरी, सी वीड फार्मिंग पर पूर्व-व्यवहार्यता आकलन अध्ययन परियोजनाओं, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए 196.92 करोड़ रुपए की सी वीड परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इसके अतिरिक्त, आईसीएआर-सेन्ट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएमएफआरआई) के मंडपम क्षेत्रीय केंद्र को सी वीड विकास के लिए उत्कृष्ट केंद्र के रूप में नामित किया गया है और लक्षद्वीप द्वीप समूह को सी वीड क्लस्टर के रूप में नामित किया गया है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत आईसीएआर-सीएमएफआरआई ने सी वीड (रेड एलगे) प्रजातियों जैसे ग्रेसिलेरिया एडुलिस और कप्पाफाइकस अल्वारेज़ी को बढ़ावा दिया है। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल

कोस्टल मैनेजमेंट (एनसीएससीएम), सेंट्रल साल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसएमसीआरआई) और सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएमएफआरआई) जैसे संस्थानों ने कोरल रीफ सहित जैव विविधता पर सी वीड कल्टीवेशन के प्रभाव का अध्ययन और दस्तावेजीकरण किया है। उनके निष्कर्षों से पता चलता है कि मरीन बायोडायवर्सिटी पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है और मरीन इकोसिस्टम में कप्पाफाइकस प्रजाति के लिए कोई इन्वेसिव(आक्रामक) विशेषता नहीं बताई गई है।

(ग) और (घ) गैर-देशी (नॉन नेटिव) प्रजातियों के प्रवेश को विनियमित करने के लिए, भारत सरकार ने भारतीय जलक्षेत्र में एक्सोटिक एक्वेटिक स्पीशीज के प्रवेश पर राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, जो देश में सी वीड सहित विदेशी जलीय प्रजातियों के प्रवेश के पक्ष और विपक्ष की समीक्षा और आकलन करती है और भविष्य में प्रवेश के लिए दिशानिर्देश/आचार संहिता भी विकसित करेगी । समिति नई प्रजातियों को शामिल करने की स्वीकृति देने और संभावित पारिस्थितिक और आर्थिक प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए व्यापक जोखिम आकलन के आधार पर आयात प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए भी जिम्मेदार है। मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार पीएमएमएसवाई के तहत उच्च उत्पादन और बाजार क्षमता वाली नई संभावित प्रजातियों के माध्यम से सी वीड सहित प्रजातियों के डायवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त, पीएमएमएसवाई के तहत सस्टेनेबल सी वीड कल्टीवेशन को बढ़ावा देने और उच्च गुणवत्ता वाले सीड सामग्री के आयात के लिए मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने 'गाईडलाईन्स फॉर इम्पोर्ट ऑफ लाईव सी वीड्स इंटू इंडिया' अधिसूचित किया है । दिशा-निर्देशों में लाइव सी वीड के आयात की प्रक्रिया, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, पेस्ट और डिसीज़ के प्रवेश को रोकने के लिए सख्त क्वारन्टीन प्रक्रिया, संभावित जैव सुरक्षा मुद्दों की पहचान करने के लिए जोखिम मूल्यांकन और चल रही मॉनिटरिंग और जोखिम मूल्यांकन को सुदृढ़ करने के लिए पोस्ट इम्पोर्ट मॉनिटरिंग की रूपरेखा दी गई है।

*****